न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः– श्री राजेश कुमार, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या :– 27 / 2024
जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2024 / 78

वादी	**बनाम**	**प्रतिवादी**
रघुवीरसिंह उर्फ ठाकराराम पुत्र मेहराजराम उर्फ मेराज जाति विश्नोई निवासी उमरलाई जागीर तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा		1.प्रेमाराम पुत्र हरीराम 2.पांचाराम पुत्र मेहराजराम 3.सोहनी पत्नी हरीराम जाति विश्नोई निवासी उमरलाई जागीर तहसील पचपदरा 4.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पचपदरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति–

1. श्री छत्रकरण भाटी,अधिवक्ता वादी
2. प्रतिवादी एकतरफा

:–निर्णयः–

दिनांक 07.8.2024

1.संक्षिप्त में वाद–पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि ग्राम सुरजन नगर तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 580/330 व 77 कुल क्षेत्रफल 12.8741 हैक्टयर भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की संयुक्त खातेदारी में अवस्थित है। वक्त सेटलमेंट के समय घरेलू बोलचाल भाषा में वादी को ठाकराराम नाम से पुकारने के कारण वादग्रस्त आराजी में भी ठाकराराम नाम दर्ज किया गया। जबकि वादी का वास्तविक नाम रघुवीरसिंह है,लेकिन वादग्रस्त आराजी एवं अन्य सरकारी दस्तावेजात में नाम की भिन्नता के कारण वादी को सरकारी योजनाओं का किसी भी प्रकार से परिलाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। वादग्रस्त आराजी में अशुद्व नाम इन्द्राज होने के कारण वादी को अपूरणीय क्षति हो रही है। अतः वादी द्वारा वादग्रस्त भूमि में [illegible] अशुद्व प्रविष्टि नाम पुत्र मेराज के स्थान पर सही नाम प्रविष्टि ठाकराराम उर्फ रघुवीरसिंह पुत्र मेहराजराम उर्फ मेराज इन्द्राज करवानें हेतु वाद–पत्र पेश किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.11 18:13:21 IST
Reason: SelfAttested

2.वादी का वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिए रजिस्ट्रर्ड सम्मन तलब किया। प्रतिवादी का सम्मन तामीलशुदा प्राप्त हुआ। प्रतिवादी को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के कारण एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

3.वादी के वाद–पत्र का प्रतिवादी द्वारा खण्डन नहीं किए जाने के कारण वाद–पत्र का वांछित अनुतोष ही तनकीयात कायम हुई। वादी साक्ष्य में पी.डब्ल्यू–1 रधुवीरसिंह उर्फ ठाकराराम व पी.डब्ल्यू–2 पांचाराम द्वारा लिखित बयानात स्वरूप शपथ पत्र पेश किए गए। दस्तावजी साक्ष्य में प्रदर्श 1–वादग्रस्त आराजी की जमाबंदी प्रदर्श–2 आधार कार्ड की प्रति प्रदर्श–3 जनआधार कार्ड प्रति व प्रदर्श–4 पेनकार्ड प्रति प्रदर्शित करवाए गए।

4.वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता ने वाद–पत्र के तथ्यों को दोहरातें हुए बहस में निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम सुरजन नगर तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 580/330 व 77 कुल क्षेत्रफल 12.8741 हैक्टयर अवस्थित है। वादी का घरेलू बोलचाल भाषा में ठाकाराम नाम से पुकारे थे और वक्त सेटलमेंट वादग्रस्त भूमि में वादी का नाम ठाकराराम अशुद्ध नाम की प्रविष्टि इन्द्राज की दी गई। जबकि वादी का वास्तविक नाम रधुवीरसिंह है,लेकिन अशुद्ध प्रविष्टि ठाकाराराम इन्द्राज कर दी गई,जो एक एरर एपिरेन्ट ऑन द फेस ऑफ रेकर्ड है,जो कि एक लिपिकीय त्रुटिवंश दर्ज हो रखा है। जबकि अन्य सरकारी दस्तावेजात में वादी का वास्तविक रधुवीरसिंह दर्ज है,लेकिन वादग्रस्त भूमि में वादी का अशुद्ध नाम इन्द्राज होने के कारण वादी को किसी प्रकार की सरकारी योजनाओं का परिलाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। वादग्रस्त भूमि में वादी का वास्तविक नाम रधुवीरसिंह के स्थान पर गलत नाम इन्द्राज होने के कारण वादी को अपूरणीय क्षति हो रही है। अतः वादी का वाद–पत्र स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि में अशुद्ध नाम ठाकराराम पुत्र मेराज के स्थान पर रधुवीरसिंह उर्फ ठाकराराम पुत्र मेहराजराम उर्फ मेराज इन्द्राज किए जाने के आदेश किए जावें।

5.हमनें वादी अधिवक्ता की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड,दस्तावेजात एवं बयानात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। जिसमें पाया कि ग्राम सुरजन नगर तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 580/330 व 77 कुल क्षेत्रफल 12.8741 हैक्टयर भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की संयुक्त खातेदारी में अवस्थित है। वादग्रस्त आराजी में वादी का नाम ठाकराराम पुत्र मेराज दर्ज हो रखा है। जबकि वादी की ओर से प्रदर्श–2 से 4 यथा–आधार कार्ड प्रति,जन आधार कार्ड प्रति एवं पेन कार्ड प्रति में वादी का नाम रधुवीरसिंह पुत्र मेहराजराम इन्द्राज हो रखा है। इससे भी प्रमाणित है कि वादी का वादग्रस्त भूमि में अशुद्ध नाम प्रविष्टि इन्द्राज हो रखी है,जो वादी वादग्रस्त भूमि में शुद्ध नाम इन्द्राज करवानें का हकदार प्रतीत होता है। वादग्रस्त आराजी के सह–खातेदार पांचाराम व मेहराजराम उर्फ मेराज द्वारा अपने बयानात में स्वीकार किया वादी का वादग्रस्त आराजी में अशुद्ध नाम ठाकराराम दर्ज हो रखा है,जबकि वादी का वास्तविक नाम रधुवीरसिंह है। रधुवीरसिंह व ठाकराराम दोनों ही व्यक्ति है। वादी का नाम ठाकराराम के स्थान पर रधुवीरसिंह शुद्ध किया जाता है,तो आपत्ति नहीं है। इससे भी प्रमाणित है कि वादग्रस्त आराजी में वादी का अशुद्ध नाम इन्द्राज हो रखा है। वादी अपना वाद–पत्र दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित करने में बखूबी सफल रहा है। ऐसी सूरत में वादी का वाद–पत्र स्वीकार योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.11 18:13:21 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

06.उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय इस निष्कर्ष पर पंहुचा है,कि वादी वादग्रस्त भूमि में अपना अशुद्व नाम ठाकराराम पुत्र मेराज के स्थान पर रघुवीरसिंह उर्फ ठाकराराम पुत्र मेहराजराम उर्फ मेराज दुरूस्त करवानें का हकदार है। ऐसी सूरत में वादी का वाद–पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत होता है।

–:निर्णय:–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वाद–पत्र वादी अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 भली भांति साबित होनें एवं सारवान होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम–सुरजन नगर तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 580/330 व 77 कुल क्षेत्रफल 12.8741 हैक्टयर भूमि में वादी के नाम की अशुद्व प्रविष्टि ठाकराराम पुत्र मेराज के स्थान पर रघुवीरसिंह उर्फ ठाकराराम पुत्र मेहराजराम उर्फ मेराज दुरूस्त किए जाने के आदेश दिए जातें है,शेष बदूस्तर रहेंगा। तहसीलदार पचपदरा को निर्देशित किया जाता है,कि तदनुसार राजस्व रेकर्ड में नियमानुसार अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करावें। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हों।

(राजेश कुमार)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

निर्णय आज दिनांक 07.8.2024 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.11 18:13:21 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री–पर्चा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:– राजेश कुमार, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या :– 27 / 2024
जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2024 / 78

वादी	बनाम	प्रतिवादी
रघुवीरसिंह उर्फ ठाकराराम पुत्र मेहराजराम उर्फ मेराज जाति विश्नोई निवासी उमरलाई जागीर तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा		1.प्रेमाराम पुत्र हरीराम 2.पांचाराम पुत्र मेहराजराम 3.सोहनी पत्नी हरीराम जाति विश्नोई निवासी उमरलाई जागीर तहसील पचपदरा 4.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पचपदरा

राजस्व वाद बाबतः–88 आर.टी.एक्ट

मुकदमा संख्या 27 / 2024

निर्णय दिनांक :–07.8.2024

वादी की ओर से श्री छत्रकरण भाटी अधिवक्ता की उपस्थिति व प्रतिवादी एकतरफा इस वाद में आज तारीख 07.8.2024 को श्री राजेश कुमार (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर,निर्णय किया जाता है और **डिक्री दी जाती है कि**:–वादी वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 भली भांति साबित होने एवं सारवान होने के कारण वादी का वाद स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम–सुरजन नगर तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 580 / 330 व 77 कुल क्षेत्रफल 12.8741 हैक्टयर भूमि में वादी के नाम की अशुद्व प्रविष्टि ठाकराराम पुत्र मेराज के स्थान पर रघुवीरसिंह उर्फ ठाकराराम पुत्र मेहराजराम उर्फ मेराज दुरूस्त किए जाने के आदेश दिए जातें है,शेष बदूस्तर रहेंगा। तहसीलदार पचपदरा को निर्देशित किया जाता है,कि तदनुसार राजस्व रेकर्ड में नियमानुसार अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करावें।

यह आज तारीख 07.8.2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(राजेश कुमार)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3.प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4..........रूपये पर प्लीडर की फीस 5.साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6.कमिश्नर की फीस 7.आदेशिका की तामिल	रूपया —	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 2.अर्जी के लिए स्टाम्प 3.प्लीडर की फीस 4.साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय 5.आदेशिका की तामील 6.कमिश्नर की फीस	रूपया ————
जोड़	—	जोड़	————

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kuma
Date: 2024.09.11 18:13:21 IST
Reason: SelfAttested